

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/absorption, grades from which to be made
(10)	(11)
By absorption failing which by direct recruitment.	By absorption of persons having qualification specified in column 7, working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.
Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering probation lifting or confirmation) consisting of :—	Not applicable.
1. Brigadier	—Chairman
2. Lt Col/Col or equivalent Civilian Officer of Director General of Electronics and Mechanical Engineering	—Member
3. Col Records, Electronics and Mechanical Engineering	—Member

[F. No. B/89228/RR/Pharmacist/EME Civ (C-2)/388/D(Apptts.)/2013]

DALPAT SINGH, Under Secy.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2013

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1970 को, (का.नि.आ. 4025 तारीख 23 जुलाई 1971 द्वारा प्रकाशित), जहां तक उनका ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय में ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. नियंत्रण प्राधिकारी.—उक्त पदों को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाएगा ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. स्थानांतरण का दायित्व.—इन नियमों के अधिन उक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी स्थानांतरण के दायित्वाधीन होगा ।

7. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ अनुवादक	21* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा		
(10)			(11)		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसने विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पदों के कार्यों से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।		

(11)

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो (कम न हो) और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व पूरी की गई नियमित सेवा या उस तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, को आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में पूरी की गई सेवा माना जाएगा।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) मूल काडर अथवा विभाग में 4200 रु. ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रु. के वेतन बैंड-2 में नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुवादक के पद पर पांच वर्ष की सेवा; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ अंग्रेजी या हिन्दी अथवा समतुल्य में मास्टर डिग्री; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ, हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हों, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

टिप्पण 1 : ऐसे पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : केन्द्रीय जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व पूरी की गई नियमित सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, को आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में पूरी की गई सेवा समझी जाएगी, इसको छोड़कर कि जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है, तथा जहाँ यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर लागू है जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालयों के लिए :-

(1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष

(2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य

(3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य

रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के लिए :-

(1) रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक —अध्यक्ष

(2) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य

(3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ अनुवादक	85* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि

(6)

वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है) ।

(7)

(8)

(9)

अनिवार्य :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(i) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ, हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या

(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हों, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और विपर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 2 वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकेगी ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(7)

वांछनीय : (i) संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिन्दी को छोड़कर अन्य किसी भाषा का किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समतुल्य से मैट्रिक स्तर का ज्ञान;
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी विपर्ययेन अनुवाद में डिग्री अथवा डिप्लोमा।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण : पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी अस्वस्थता या अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।

(क) (i) वे अधिकारी जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में 2800 रु. ग्रेड वेतन सहित 5200—20200 रु. के वेतन बैंड-1 में पद पर नियुक्ति से नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा की हो; और

(iii) जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (7) में विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हों।

(11)

लागू नहीं होता

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालयों के लिए :—

1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा —अध्यक्ष
अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक

2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य

3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य

रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालयों के लिए:—

1. रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक या रक्षा लेखा —अध्यक्ष
उप महानियंत्रक

2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य

3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एफ. 9(6)/सी/2010]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्त सलाहकार

(Finance Division)

New Delhi, the 21st October, 2013

S.R.O. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) recruitment Rules, 1970 (Published vide S.O. 4025 dated the 23rd July, 1971), in so far as they relate to the posts of Senior Translator and Junior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Translator and Junior Translator in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Controlling authority.**—The said posts shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance Division).

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Liability of service.**—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

7. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Translator	21* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600	Non- selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made	
(10)	(11)	
By Promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>Junior Translators in the pay band 2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two weeks training in discharge of duty associated with higher post imparted at various Regional Training Centres functioning under the department.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half on such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers from the Central Government</p> <p>(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) having five years service as Junior Translator on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 in the parent cadre or department; and</p> <p>(B) possessing the following educational qualifications:—</p> <p>(i) Master's degree of a recognised University in Hindi or English or equivalent with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination a degree level; or</p>	

(11)

(ii) Master's degree of a recognised University of equivalent in any subject other than Hindi or English, with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level: or

(iii) Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects of either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.

Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3:- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4:- For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion : (for considering promotion) :—

For offices other than the Controller General of Defence Accounts:—

- | | |
|--|-----------|
| (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts | —Chairman |
| (2) Deputy Controller of Defence Accounts | —Member |
| (3) Assistant Controller of Defence Accounts | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(12)

For the office of the Controller General of Defence**Accounts :—**

- | | |
|--|-----------|
| (1) Senior Deputy Controller General or Deputy
Controller General of Defence Accounts | —Chairman |
| (2) Assistant Controller General of Defence
Accounts | —Member |
| (3) Senior Accounts Officer | —Member |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Translator	85* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential:		
(I) (A) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi or English; or		
(B) Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level;		
or		
(C) Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and		
(II) Diploma or Certificate course in translation from	Not applicable	Two years

(7)

Hindi to English and vice-versa from a recognised institution or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertaking.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable : (i) Knowledge at the level of Matriculation, of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, from a recognised Board or equivalent;

(ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University.

(10)

Direct recruitment

Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.

(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) having six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the pay band 1 Rs. 5200-20200, with grade pay of Rs. 2800 and

(b) possessing the educational and other qualifications specified in column (7) for direct recruits.

(11)

Not applicable

(12)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—

For offices other than the Controller General of Defence Accounts:—

- (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts —Chairman

(13)

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(12)

- | | |
|--|---------|
| (2) Deputy Controller of Defence Accounts | —Member |
| (3) Assistant Controller of Defence Accounts | —Member |

For the offices of the Controller General of Defence Accounts:—

- | | |
|---|-----------|
| (1) Senior Deputy Controller General or Deputy Controller General of Defence Accounts | —Chairman |
| (2) Assistant Controller General of Defence Accounts | —Member |
| (3) Senior Accounts Officer | —Member |

[F. No. F. 9(6)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Additional Financial Advisor

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2013

का.नि.आ. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रनुकूल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनाओं में, समूह 'ग' पद आशुलिपिक श्रेणी-II भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनाओं में, समूह 'ग' पद आशुलिपिक श्रेणी-II, भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनाओं में, समूह 'ग' पद आशुलिपिक श्रेणी-II, भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में, -

(क) स्तंभ (7) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है”।

(ख) स्तंभ (11) में की प्रविष्टियों के स्थान पर “कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से” शब्दों का लोप करें;

(ग) स्तंभ (13) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- | | |
|---|-----------|
| (i) ब्रिगेडियर या समतुल्य | — अध्यक्ष |
| (ii) कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या समतुल्य | — सदस्य |
| (iii) मेजर या कैप्टन या समतुल्य | — सदस्य”। |

[फा. सं. 15735/आर आर/स्टेनो/आई डी एस/कार्मिक/381/र. (नि.)/2013]

दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 के अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 11, तारीख 17 फरवरी, 2011 में प्रकाशित किए गए थे।